I/131578/2023

संख्या-248 /XXXVI-A-1/2023-232/2023

प्रेषक,

नरेन्द्र दत्त,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 20 जून, 2023

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में गतिमान ई–कोर्ट परियोजनाओं के कुशल संचालन हेतु सलाहकार कार्योजित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं0–2886/UHC/e-court-Consultant/2023 दिनांक 08.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में गतिमान ई–कोर्ट परियोजनओं के कुशल संचालन हेतु सलाहकार के रूप में श्री सी0एल0एम0 रेड्डी, निदेशक (से0नि0), एन0आई0सी0 को कार्योजित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में गतिमान ई–कोर्ट परियोजनओं के कुशल संचालन हेतु सलाहकार का अस्थायी नि :संवर्गीय पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29.02.2024 तक, बशर्ते कि यह पद उक्त अवधि के बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, तक के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i- पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश सं0–41/xxvii(7)/2017 दिनांक 12.09.2017 के प्रस्तर–1 व 2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार उक्त सृजित पद के सापेक्ष यथा प्रक्रिया पुनर्नियुक्त कार्मिक को वेतन अनुमन्य होगा।

ii- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–173, दिनांक 20.02.2013 एवं शासनादेश सं0–152, दिनांक 08.09.2020 में निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

iii- उक्त सृजित पद पर नियुक्ति आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।

iv- उक्त पद धारक को मा0 उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों की भांति अनुमन्य भत्ते एवं सुविधायें अनुमन्य नहीं होंगे और न ही उनका विनियमितीकरण का दावा मान्य होगा।

3– उक्त पद धारक को मा0 उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों की भांति अनुमन्य भत्ते एवं सुविधायें अनुमन्य नहीं होंगे और न ही उनका विनियमितीकरण का दावा मान्य होगा।

4– उक्त मद में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–भारित–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–131559/2023/XXVII(7) दिनांक 20.06.2023 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Narendra Dutt
Date: 20-06-2023 18:05:44

(नरेन्द्र दत्त)
सचिव

क्रमशः.....2

संख्या–248(1)/XXXVI-A-1/2023-232/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. वित्त अनुभाग–7 / कार्मिक अनुभाग–2 / न्याय अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Sudhir Kumar Singh

Date: 20-06-2023 18:04:27

(सुधीर कुमार सिंह)

अपर सचिव